Swami Vivekananda Advanced Journal for Research and Studies
Online Copy of Document Available on: www.svajrs.com

ISSN:2584-105X **Pg. 8-12**

राज्य अभिरक्षा और जीवन-हानि: संवैधानिक जवाबदेही एवं विधिक परिणाम

सचिन कुमार यादव
(एल.एल.एम., यू.जी.सी. नेट), शोधार्थी, विधि संकाय, शिबली नेशनल पी.जी. कॉलेज, आजमगढ़
प्रो. काज़ी नदीम आलम
प्रोफेसर, विधि संकाय, शिबली नेशनल पी.जी. कॉलेज, आजमगढ़

Accepted: 01/12/2025
Published: 16/12/2025 ***DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.17943685***

सारांश

भारत में "कस्टोडियल डेथ" (अभिरक्षा में मृत्यु) केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि संवैधानिक शासन, विधि-राज्य और मानव गरिमा की अवधारणा के समक्ष एक गहरी संस्थागत चुनौती है। राज्य द्वारा वैध रूप से स्वतंत्रता-हरण (गिरफ्तारी, हिरासत, रिमांड, कारावास) किए जाने की स्थिति में व्यक्ति का जीवन और शारीरिक-मानसिक अखंडता राज्य की "सकारात्मक जिम्मेदारी" (सकारात्मक दायित्व) के क्षेत्र में आ जाती है, अर्थात् राज्य केवल हस्तक्षेप न करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सुरक्षा, चिकित्सा, निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का कर्तव्य निभाता है। इसी पृष्ठभूमि में यह शोधपत्र राज्य अभिरक्षा में मृत्यु के संवैधानिक आधार, दण्ड-विधिक परिणामों और प्रक्रिया-संबंधी जवाबदेही ढांचे का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

यह अध्ययन तीन स्तरों पर केंद्रित है। प्रथम, संवैधानिक उत्तरदायित्व: अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार और गरिमा की रक्षा, तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित "पब्लिक लॉ क्षतिपूर्ति" (public law compensation) का सिद्धांत, विशेषतः अवैध निरोध और अभिरक्षा-हिंसा/मृत्यु की परिस्थितियों में (रुदुल साह वी. बिहार राज्य, 1983; नीलाबती बेहरा वी. उड़ीसा राज्य, 1993)। द्वितीय, विधिक परिणाम: भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत आपराधिक उत्तरदायित्व (उदाहरणार्थ, दोषपूर्ण मानव वध, हत्या, लापरवाही से मृत्यु, तथा स्वीकारोक्ति उगलवाने हेतु चोट पहुँचाने जैसे विशिष्ट प्रावधान) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम/भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा में स्वीकारोक्ति की निष्प्रभाविता तथा "डिस्कवरी" (discovery) अपवाद की भूमिका (भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023)। तृतीय, प्रक्रिया और संस्थागत निगरानी: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत मजिस्ट्रेटीय जांच की अनिवार्यता और शव को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु अग्रसारित करने जैसी शर्तें, तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा 24 घंटे में रिपोर्टिंग और पोस्टमॉर्टम की वीडियो-फिल्मिंग संबंधी दिशानिर्देश (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; नहरक, 1993/1995)।

अंततः यह शोधपत्र उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर यह दिखाता है कि पुलिस अभिरक्षा से संबंधित मामलों का वितरण कुछ राज्यों में अधिक केंद्रित दिखाई देता है (लोकसभा, 2023), जबकि न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु की सूचनाएँ/इंटीमेशन संख्या में कहीं अधिक हैं (एनएचआरसी, 2023-24 वार्षिक रिपोर्ट)। यह स्थिति सुधारों के दोहरे एजेंडे की ओर संकेत करती है: पुलिस हिरासत की पारदर्शिता और दण्डनीयता के साथ-साथ कारागार/न्यायिक अभिरक्षा में चिकित्सा-देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य और व्यवस्थागत निगरानी को समान प्राथमिकता देना।

***शब्द कुंजी**: कस्टोडियल डेथ, राज्य अभिरक्षा, अनुच्छेद 21, पब्लिक लॉ क्षतिपूर्ति, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023*

परिचय

राज्य अभिरक्षा में मृत्यु का प्रश्न आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र में "वैध बल-प्रयोग" (legitimate use of force) और "वैध स्वतंत्रता-हरण" (lawful deprivation of liberty) की सीमाओं को परखता है। गिरफ्तारी, पूछताछ, पुलिस लॉक-अप, न्यायिक रिमांड, जेल या अन्य वैध अभिरक्षा की स्थिति में व्यक्ति की देह और जीवन राज्य की प्रत्यक्ष नियंत्रण-परिधि में होता है। इसी कारण अभिरक्षा में मृत्यु साधारण हत्या/दुर्घटना की श्रेणी से अलग एक विशेष संवैधानिक चिंता बन जाती है, क्योंकि इसमें राज्य के नियंत्रण, संसाधनों, शक्ति-संतुलन और सूचना-असमता (information asymmetry) की भूमिका अंतर्निहित होती है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) स्वयं इस विशेषता को रेखांकित करती है जब वह यह उपबंध करती है कि पुलिस या मजिस्ट्रेट/न्यायालय द्वारा अधिकृत अन्य अभिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु/गुमशुदगी या अभिरक्षा में किसी महिला के साथ बलात्कार के आरोप की स्थिति में मजिस्ट्रेटीय जांच अनिवार्य होगी (BNSS, 2023, §196(2))। इस वैधानिक संरचना का अर्थ यह है कि "कस्टोडियल" घटना होने मात्र से सामान्य जांच-प्रक्रिया पर्याप्त नहीं मानी जाती; अतिरिक्त न्यायिक निगरानी को विधायी मान्यता प्राप्त है।

इस शोधपत्र का केंद्रीय प्रतिपादन यह है कि अभिरक्षा में मृत्यु के मामलों में उत्तरदायित्व को केवल "व्यक्तिगत अपराध" तक सीमित रखना अधूरा है। संवैधानिक जवाबदेही का अर्थ है (i) राज्य की संरचनात्मक जिम्मेदारी और कर्तव्य-पालन की समीक्षा, (ii) दण्ड-विधिक परिणामों का प्रभावी अनुप्रयोग, (iii) प्रक्रिया-सुरक्षा उपायों का अनुपालन, तथा (iv) क्षतिपूर्ति और पुनर्वास जैसे सार्वजनिक विधि प्रतिकारों का व्यावहारिक क्रियान्वयन।

वैचारिक और पद्धतिगत रूपरेखा

यह अध्ययन मुख्यतः "डॉक्ट्रिनल" (doctrinal) विधि-विश्लेषण पद्धति अपनाता है, जिसमें संवैधानिक न्यायशास्त्र, विधायी प्रावधान और संस्थागत दिशानिर्देशों का पाठ-आधारित (textual) और सिद्धांत-आधारित (principled) विश्लेषण किया गया है। साथ ही सीमित "वर्णनात्मक-आंकिक" (descriptive empirical) परत जोड़ी गई है, जिसमें (i) लोक सभा में प्रस्तुत आधिकारिक उत्तर के आधार पर पुलिस अभिरक्षा में कस्टोडियल मृत्यु से संबंधित राज्यवार "मामलों" का वितरण (2018-19 से 2022-23) और (ii) NHRC की 2023-24 वार्षिक रिपोर्ट में न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की नई इंटीमेशन और निपटान का सार शामिल है।

यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि लोक सभा-उत्तर की तालिका "पुलिस अभिरक्षा में कस्टोडियल मृत्यु के संबंध में पंजीकृत मामलों" को दर्शाती है, जिसे स्रोत रूप में NHRC बताया गया है (लोकसभा, 2023)। अतः इसे "मृत्यु की संख्या" के समानार्थक मानते समय सावधानी अपेक्षित है; फिर भी यह नीति-विश्लेषण हेतु एक महत्वपूर्ण आधिकारिक संकेतक है।

अभिरक्षा में मृत्यु: अवधारणा और वर्गीकरण

अभिरक्षा में मृत्यु की अवधारणा व्यापक है और इसमें पुलिस लॉक-अप में मृत्यु, न्यायिक रिमांड के दौरान जेल/हिरासत में मृत्यु, तथा मजिस्ट्रेट/न्यायालय द्वारा अधिकृत अन्य अभिरक्षा में मृत्यु सम्मिलित हो सकती है। BNSS, 2023 के §196(2) में जिस प्रकार "पुलिस अभिरक्षा या मजिस्ट्रेट/न्यायालय द्वारा अधिकृत किसी अन्य अभिरक्षा" में मृत्यु/गुमशुदगी की स्थिति में मजिस्ट्रेटीय जांच का प्रावधान किया गया है, वह इस व्यापक दृष्टि को विधिक रूप देता है (BNSS, 2023)।

नीतिगत दृष्टि से कस्टोडियल मृत्यु को सामान्यतः तीन सह-स्थितियों में समझा जा सकता है। प्रथम, प्रत्यक्ष हिंसा/यातना से मृत्यु, जहाँ चोट पहुँचाने या स्वीकारोक्ति/सूचना उगलवाने जैसे उद्देश्यों से बल-प्रयोग किया गया हो। द्वितीय, उपेक्षा/देखभाल-विफलता से मृत्यु, जहाँ गंभीर बीमारी, नशा-सम्बन्धी आपात स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य संकट, या चिकित्सा-सुविधा में देरी निर्णायक बन जाए। तृतीय, अभिरक्षा-सुरक्षा विफलता से आत्महत्या या "अस्वाभाविक मृत्यु", जहाँ निगरानी और जोखिम-प्रबंधन की कमी भूमिका निभाती है। इस वर्गीकरण का उद्देश्य दण्डनीयता और सुधार उपायों के उपयुक्त चयन में सहायता देना है, क्योंकि हर श्रेणी में साक्ष्य, कारणता (causation) और संस्थागत कर्तव्य-उल्लंघन का स्वरूप अलग हो सकता है।

संवैधानिक आधार: राज्य की सकारात्मक जिम्मेदारियाँ और जवाबदेही

भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र में अनुच्छेद 21 केवल "जीवन से वंचित न किए जाने" की नकारात्मक गारंटी नहीं है, बल्कि गरिमा, शारीरिक अखंडता और मानवीय व्यवहार की सकारात्मक मांग भी है। अभिरक्षा की स्थिति इस मांग को और तीव्र बनाती है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपनी सुरक्षा/चिकित्सा/स्वतंत्रता-संरक्षण के साधन सीमित रूप से उपयोग कर पाता है।

सार्वजनिक विधि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत

सर्वोच्च न्यायालय ने रुदुल साह वी. बिहार राज्य (1983) में अवैध निरोध की परिस्थिति में अनुच्छेद 21 के उल्लंघन हेतु संविधान के उपचारात्मक अधिकार-क्षेत्र (विशेषतः अनुच्छेद 32) के अंतर्गत मौद्रिक क्षतिपूर्ति को एक व्यावहारिक प्रतिकार के रूप में स्वीकार किया, जिससे यह सिद्धांत विकसित हुआ कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर "पब्लिक लॉ" में क्षतिपूर्ति संभव है (रुदुल साह वी. बिहार राज्य, 1983)।

इसके बाद नीलाबती बेहरा वी. उड़ीसा राज्य (1993) में न्यायालय ने अभिरक्षा में मृत्यु के संदर्भ में इस सिद्धांत को और स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकार उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति

का सार्वजनिक विधि प्रतिकार निजी विधि (टॉर्ट/सिविल) उपायों से भिन्न और उनके अतिरिक्त है; इसका उद्देश्य राज्य की जवाबदेही को तुरंत और प्रभावी रूप से लागू करना है (नीलाबती बेहरा वी. उड़ीसा राज्य, 1993)।

डी.के. बसु वी. पश्चिम बंगाल राज्य (निर्णय तिथि 18 दिसंबर 1996; सामान्य उद्धरण 1997 (1) SCC 416) में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिरक्षा-हिंसा की रोकथाम हेतु गिरफ्तारी और निरोध संबंधी "न्यूनतम आवश्यकताओं" (requirements) को बाध्यकारी रूप में रेखांकित किया और इस क्षेत्र में प्रक्रिया-सुरक्षा को अनुच्छेद 21 तथा 22 की व्यावहारिक गारंटी के रूप में देखा (डी.के. बसु वी. पश्चिम बंगाल राज्य, 1996)।

इन निर्णयों की संयुक्त संवैधानिक दिशा यह है कि अभिरक्षा में मृत्यु के मामले में राज्य केवल "अपराधी अधिकारी" की पहचान तक सीमित नहीं रह सकता; उसे अपनी संरचनात्मक विफलताओं, जैसे निगरानी का अभाव, रिकॉर्डिंग/दस्तावेजीकरण की कमी, स्वतंत्र जांच का अभाव, चिकित्सा सहायता में देरी, के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, और मौद्रिक क्षतिपूर्ति इस उत्तरदायित्व का एक प्रमुख औजार है।

विधिक ढांचा: दण्ड विधान, साक्ष्य और आपराधिक प्रक्रिया

अभिरक्षा में मृत्यु से जुड़ी विधिक परिणतियाँ तीन परस्पर-सम्बद्ध क्षेत्रों में उभरती हैं: (i) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत आपराधिक दायित्व, (ii) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अंतर्गत साक्ष्य-स्वीकृतता और स्वीकारोक्ति का प्रश्न, तथा (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत जांच/इनक्वेस्ट/मजिस्ट्रेटीय जांच की अनिवार्यताएँ।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत दण्डनीयता

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) में "दोषपूर्ण मानव वध" की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के आशय से जो मृत्यु कारित करने की संभावना रखती है, या ऐसे ज्ञान के साथ कोई कृत्य करता है जिससे मृत्यु होने की संभावना है, तो वह दोषपूर्ण मानव वध का अपराध करता है (BNS, 2023, §100)। इसी ढांचे के भीतर यह निर्धारित होता है कि अभिरक्षा में हुई मृत्यु हत्या के रूप में वर्गीकृत होगी या "हत्या न होने वाला दोषपूर्ण मानव वध" (BNS, 2023, §§101, 105), या कभी-कभी लापरवाही से मृत्यु (BNS, 2023, §106) के अंतर्गत आएगी, जो तथ्य-परिस्थितियों, आशय/ज्ञान और कारणता के न्यायिक आकलन पर निर्भर करता है।

कस्टोडियल संदर्भ में विशेष महत्व BNS, 2023 के §120 का है, जो "स्वीकारोक्ति या सूचना उगलवाने" के उद्देश्य से स्वेच्छा से चोट पहुँचाने को दण्डनीय बनाता है। §120(1) में स्वीकारोक्ति/सूचना प्राप्त करने या संपत्ति की बहाली/दावे की पूर्ति के लिए चोट पहुँचाने का उल्लेख है और इसके "Illustrations" में पुलिस अधिकारी द्वारा यातना देकर स्वीकारोक्ति कराने जैसे उदाहरण दिए गए हैं (BNS, 2023, §120)। यह प्रावधान महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह कस्टोडियल हिंसा की एक विशिष्ट प्रेरणा, जांच को "कन्फेशन-ड्रिवन" बनाना, पर विधिक रोक का संकेत देता है।

इसके अतिरिक्त, कस्टडी के गैरकानूनी या अति-विस्तारित स्वरूप से जुड़े "गलत तरीके से कारावास" का सामान्य अपराध भी प्रासंगिक हो सकता है, क्योंकि अभिरक्षा में व्यक्ति की स्वतंत्र आवाजाही का नियंत्रण ही इस क्षेत्र का मूल तथ्यात्मक आधार है (BNS, 2023, §§126-127)।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023: स्वीकारोक्ति, अभिरक्षा और "डिस्कवरी" अपवाद

कस्टोडियल हिंसा की एक संरचनात्मक वजह ऐतिहासिक रूप से "स्वीकारोक्ति-आधारित" जांच रही है। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) का §23 स्पष्ट करता है कि पुलिस अधिकारी को की गई स्वीकारोक्ति अभियुक्त के विरुद्ध सिद्ध नहीं की जा सकती (BSA, 2023, §23(1)) और पुलिस अभिरक्षा में की गई स्वीकारोक्ति, यदि मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में नहीं है, तो वह भी सिद्ध नहीं की जा सकती (BSA, 2023, §23(2))।

हालाँकि §23(2) के अंतर्गत "डिस्कवरी" का प्रावधान बना रहता है, जिसके अनुसार अभिरक्षा में प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप खोजे गए तथ्य से सम्बद्ध सीमित भाग सिद्ध किया जा सकता है (BSA, 2023, §23(2) proviso)। कस्टोडियल जवाबदेही के दृष्टिकोण से यह द्वंद्व महत्त्वपूर्ण है: एक ओर कानून पुलिस स्वीकारोक्ति को अस्वीकार कर यातना की उपयोगिता घटाना चाहता है, दूसरी ओर डिस्कवरी अपवाद का दुरुपयोग-जोखिम बना रह सकता है। अतः जांच-प्रक्रिया में फोरेंसिक, डिजिटल साक्ष्य और स्वतंत्र गवाह-आधारित दृष्टि को बढ़ावा देना संरचनात्मक सुधार का आवश्यक तत्व है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023: मजिस्ट्रेटीय जांच और शव-परीक्षण की बाध्यताएँ

BNSS, 2023 का §196 अभिरक्षा-संबंधी मृत्यु/गुमशुदगी तथा अभिरक्षा में बलात्कार के आरोप की स्थिति में मजिस्ट्रेटीय जांच की अनिवार्यता स्थापित करता है (BNSS, 2023, §196(2))। यह प्रावधान दो कारणों से केंद्रीय है। पहला, यह पुलिस द्वारा की गई जांच के "अतिरिक्त" न्यायिक निगरानी को अनिवार्य करता है, जिससे हित-संघर्ष (conflict of interest) कम करने का प्रयास होता है। दूसरा, यह रिश्तेदारों को, जहाँ व्यावहारिक हो, जांच में उपस्थित रहने देने और उन्हें सूचित करने का निर्देश देता है (BNSS, 2023, §196(5))।

BNSS, 2023 यह भी अपेक्षा करता है कि ऐसी जांच/जांच के दौरान मृत्यु होने पर शव को 24 घंटे के भीतर निकटतम सिविल सर्जन/योग्य चिकित्सा व्यक्ति के पास चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा जाए, जब तक कि ऐसा करना असंभव न हो और कारण लिखित में दर्ज न किए जाएँ (BNSS, 2023,

§196(6))। यह समय-सीमा कस्टोडियल मृत्यु के मामलों में साक्ष्य-संरक्षण (evidence preservation), चोट के निशानों की प्रामाणिकता और कारणता निर्धारण के लिए निर्णायक है।

तालिका 1: कस्टोडियल मृत्यु में दण्ड व प्रक्रिया, प्रमुख वैधानिक प्रावधानों का सार

विधिक उपकरण	धारा/उपबंध	मुख्य कानूनी मानक	कस्टोडियल मृत्यु से संबंध
भारतीय न्याय संहिता, 2023	§100	दोषपूर्ण मानव वध की परिभाषा	अभिरक्षा में मृत्यु के मामलों में आशय/ज्ञान के आधार पर आपराधिक वर्गीकरण का आधार
भारतीय न्याय संहिता, 2023	§§101, 103	हत्या की परिभाषा/दण्ड	यदि अभिरक्षा में मृत्यु हत्या के तत्व पूरे करे तो कठोर दण्डात्मक परिणाम
भारतीय न्याय संहिता, 2023	§105	हत्या न होने वाला दोषपूर्ण मानव वध	अनेक कस्टोडियल मामलों में आशय/ज्ञान के स्तर पर यह उपबंध व्यवहार में प्रासंगिक हो सकता है
भारतीय न्याय संहिता, 2023	§106	लापरवाही से मृत्यु	हिरासत में चिकित्सा-उपेक्षा/सुरक्षा विफलता जैसे मामलों में संभावित प्रासंगिकता
भारतीय न्याय संहिता, 2023	§120	स्वीकारोक्ति/सूचना उगलवाने हेतु चोट पहुँचाना; पुलिस यातना का उदाहरण	पूछताछ-आधारित हिंसा को सीधे लक्षित करता है; कस्टोडियल हिंसा की "प्रेरणा-संरचना" पर प्रहार
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	§23	पुलिस को की गई स्वीकारोक्ति और पुलिस अभिरक्षा में स्वीकारोक्ति की निष्प्रभाविता; "डिस्कवरी" अपवाद	यातना से स्वीकारोक्ति की उपयोगिता घटाने का प्रयास; साथ ही डिस्कवरी अपवाद का दुरुपयोग-जोखिम
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	§196(2)	पुलिस/अन्य वैध अभिरक्षा में मृत्यु/गुमशुदगी या अभिरक्षा में बलात्कार आरोप पर मजिस्ट्रेटीय जांच अनिवार्य	स्वतंत्र निगरानी का विधिक आधार; कस्टोडियल मामलों में मानक-प्रक्रिया से अतिरिक्त सुरक्षा
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	§196(6)	24 घंटे में शव को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु अग्रसारित करना; असंभव होने पर कारण लिखित	पोस्टमॉर्टम देरी/साक्ष्य क्षय को रोकना; कारणता निर्धारण में मदद

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग: दिशानिर्देश, रिपोर्टिंग और निगरानी

कस्टोडियल मृत्यु की रोकथाम और जवाबदेही में NHRC की भूमिका संस्थागत मानकों के निर्माण और अनुपालन-प्रेरणा (compliance pressure) से जुड़ी है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (PHRA) के अंतर्गत NHRC को मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच, कारागार/संस्थानों का निरीक्षण तथा अनुशंसाएँ करने की भूमिका दी गई है (PHRA, 1993; NHRC संकलित पत्राचार में §12(C) संदर्भ)।

24 घंटे में रिपोर्टिंग की आवश्यकता

NHRC ने 14 दिसंबर 1993 के पत्र द्वारा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को यह निर्देश-आधारित अनुरोध किया कि जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कस्टोडियल मृत्यु/कस्टोडियल बलात्कार की घटना के 24 घंटे के भीतर आयोग को रिपोर्ट करें; विलंब को "घटना दबाने के प्रयास" के रूप में अनुमानित (presumed) किया जा सकता है (NHRC, 1993)। यह मानक अभिरक्षा-घटनाओं के साक्ष्य-संरक्षण और स्वतंत्र निगरानी के लिए एक न्यूनतम समयबद्धता सुनिश्चित करता है।

पोस्टमॉर्टम की वीडियो-फिल्मिंग

NHRC ने 10 अगस्त 1995 के पत्र में इस चिंता को रेखांकित किया कि कई मामलों में पोस्टमॉर्टम उचित ढंग से नहीं होता और रिपोर्ट पुलिस संस्करण का रूप ले सकती है; इसलिए पुलिस अभिरक्षा और जेलों में हुई मौतों के पोस्टमॉर्टम की वीडियो-फिल्मिंग और रिकॉर्डिंग (कैसेट आदि) को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के साथ आयोग को भेजने की अपेक्षा व्यक्त की गई (NHRC, 1995)। यह उपाय कस्टोडियल हिंसा के मामलों में साक्ष्य की विश्वसनीयता बढ़ाने और बाद में स्वतंत्र समीक्षा की संभावना बनाने के लिए नीति-स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाता है।

न्यायिक प्रवृत्तियाँ: प्रक्रिया-सुरक्षा, पारदर्शिता और प्रतिकार

डी.के. बसु वी. पश्चिम बंगाल राज्य (1996) को अक्सर कस्टोडियल हिंसा-निरोधी न्यायशास्त्र का "प्रक्रियात्मक

संविधान" कहा जाता है, क्योंकि न्यायालय ने गिरफ्तारी और निरोध में पालन किए जाने वाले न्यूनतम मानकों पर जोर दिया, जिन्हें मौलिक अधिकारों की व्यावहारिक रक्षा के लिए आवश्यक माना गया (डी.के. बसु वी. पश्चिम बंगाल राज्य, 1996)।

इसी क्रम में न्यायालय द्वारा विकसित "क्षतिपूर्ति" की सार्वजनिक विधि अवधारणा (Rudul Sah; Nilabati Behera) अभिरक्षा में मृत्यु के बाद राज्य की जवाबदेही का एक तत्काल औजार बनती है, क्योंकि आपराधिक मुकदमे अक्सर लंबी अवधि लेते हैं और साक्ष्य-आधारित बाधाओं से प्रभावित हो सकते हैं।

डेटा-आधारित विवेचन: प्रवृत्तियाँ और संस्थागत संकेतक

NHRC वार्षिक रिपोर्ट (2023-24): न्यायिक बनाम पुलिस अभिरक्षा

NHRC की 2023-24 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-2024 में आयोग को न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु की 2,346 नई इंटीमेशन तथा पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की 160 इंटीमेशन प्राप्त हुईं (NHRC, 2024)। उसी अवधि में आयोग ने कस्टोडियल मृत्यु के कुल 3,403 मामलों का निपटान किया, जिनमें 3,181 न्यायिक अभिरक्षा मृत्यु से और 222

चित्र 1: पुलिस अभिरक्षा में कस्टोडियल मृत्यु—राज्य/केंद्रशासित प्रदेशवार मामले (2018–19 से 2022–23)

(स्रोत: NHRC; संसद में प्रस्तुत, लोक सभा प्रश्न 2055, दिनांक 01.08.2023)

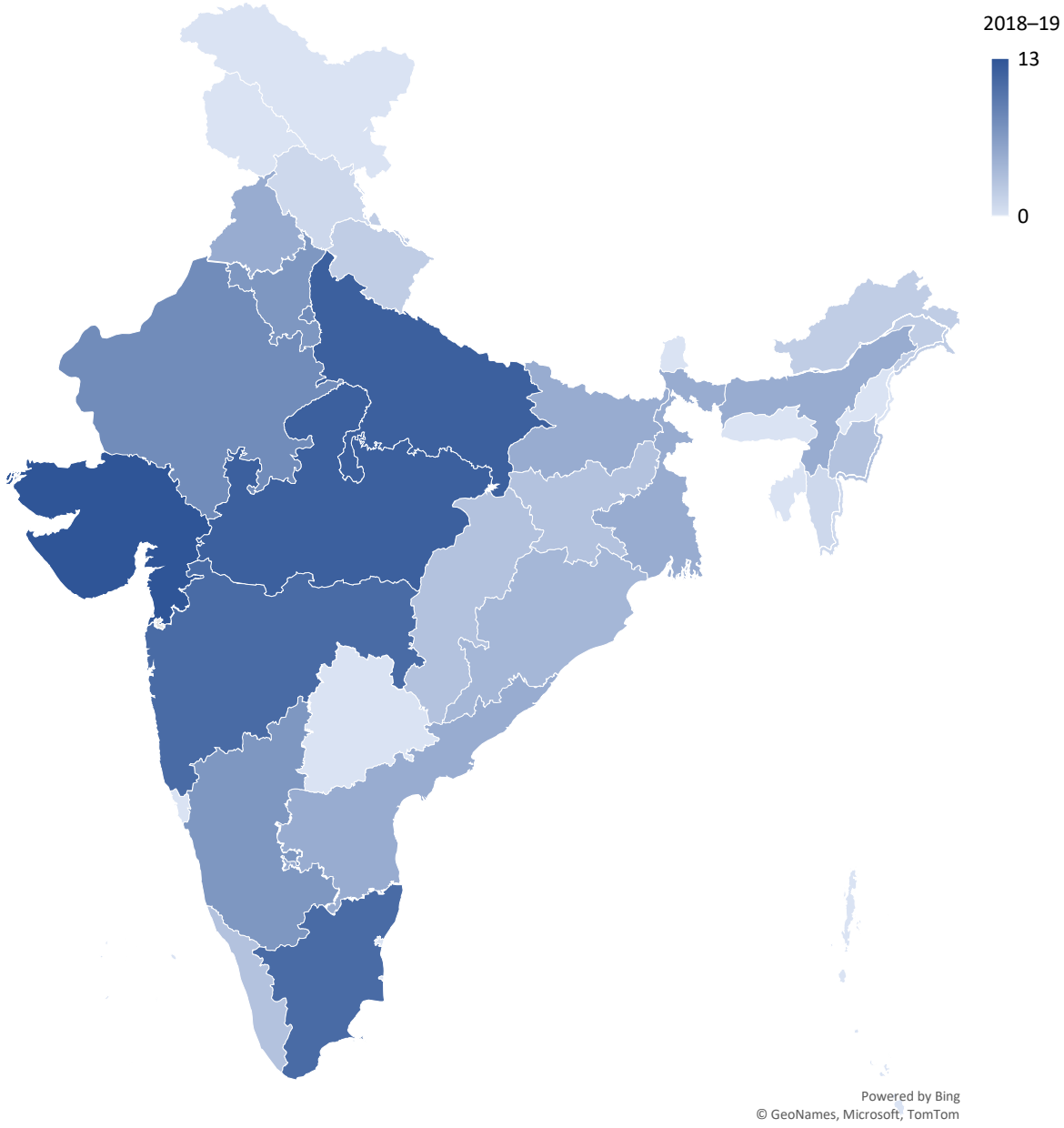

पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु/बलात्कार से संबंधित बताए गए हैं (NHRC, 2024)।

यह विभाजन नीति-निर्माण के लिए दो निष्कर्ष सुझाता है। पहला, "कस्टोडियल" संकट का बड़ा हिस्सा न्यायिक अभिरक्षा/कारागार-प्रणाली से जुड़ा दिखाई देता है, जिसे अक्सर सार्वजनिक बहस में अपेक्षाकृत कम स्थान मिलता है। दूसरा, पुलिस अभिरक्षा की घटनाएँ संख्या में कम दिखते हुए भी संवैधानिक दृष्टि से अत्यधिक गंभीर हैं, क्योंकि वे प्रायः पूछताछ, बल-प्रयोग और त्वरित साक्ष्य-हेरफेर के उच्च जोखिम से जुड़ी होती हैं।

तालिका 2: NHRC (2023-24) में अभिरक्षा-सम्बन्धी मृत्यु की नई इंटीमेशन और निपटान

संकेतक (वर्ष 2023-24)	न्यायिक अभिरक्षा	पुलिस अभिरक्षा	कुल
नई इंटीमेशन	2,346	160	2,506
निपटाए गए मामले	3,181	222	3,403

लोक सभा प्रश्न (01.08.2023): पुलिस अभिरक्षा में कस्टोडियल मृत्यु के राज्यवार "मामले"

लोक सभा के अनस्टार्ड प्रश्न संख्या 2055 के उत्तर में गृह मंत्रालय द्वारा यह बताया गया कि NHRC द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 01.04.2018 से 31.03.2023 तक पुलिस अभिरक्षा में कस्टोडियल मृत्यु के संबंध में पंजीकृत मामलों का राज्य/केंद्रशासित प्रदेशवार विवरण उपलब्ध है, तथा कुल राष्ट्रीय योग क्रमशः 2018-19: 136, 2019-20: 112, 2020-21: 100, 2021-22: 175, 2022-23: 164 है (Lok Sabha, 2023)। उसी उत्तर में यह भी स्पष्ट किया गया कि NHRC अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध में पृथक डेटा अलग से बनाए नहीं रखता (Lok Sabha, 2023)।

उपरोक्त वितरण पर आधारित एक वर्णनात्मक निष्कर्ष यह है कि 2018-19 से 2022-23 की अवधि में कुल 687 मामले दिखते हैं और कुछ राज्यों में संकेंद्रण अधिक है; उदाहरणार्थ गुजरात और महाराष्ट्र का योग उच्च है (लोक सभा, 2023)। यद्यपि कारण-निर्धारण हेतु अधिक सूक्ष्म डेटा (कारण, जांच की स्थिति, अभियोजन/दण्ड-परिणाम) आवश्यक होगा, यह तालिका नीति-निर्माताओं के लिए "हॉटस्पॉट" और प्रशासनिक प्राथमिकता-क्षेत्र चिन्हित करने का प्रारंभिक आधार देती है।

संरचनात्मक चुनौतियाँ: जवाबदेही के रास्ते में बाधाएँ

अभिरक्षा में मृत्यु के मामलों में प्रभावी न्याय-प्राप्ति के समक्ष कुछ विशिष्ट बाधाएँ बार-बार सामने आती हैं। पहली बाधा साक्ष्य-संरक्षण की है, घटना-स्थल, मेडिकल रिकॉर्ड, CCTV फुटेज, हिरासत रजिस्टर और मेडिकल जांच के समय-रिकॉर्ड यदि तुरंत सुरक्षित न किए जाएँ, तो बाद में कारणता निर्धारण कठिन हो जाता है। इसी संदर्भ में BNSS, 2023 द्वारा 24 घंटे में शव को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजने का उपबंध और कारण लिखित में दर्ज करने की अपेक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है (BNSS, 2023, §196(6))।

दूसरी बाधा हित-संघर्ष की है, क्योंकि प्रारंभिक जांच प्रायः उसी संस्थागत ढांचे से निकलती है जिसके विरुद्ध आरोप हो सकता है। BNSS, 2023 के अंतर्गत मजिस्ट्रेटीय जांच की अनिवार्यता (विशेषतः मृत्यु/गुमशुदगी या अभिरक्षा में बलात्कार आरोप में) इस बाधा को कम करने का विधायी प्रयास है (BNSS, 2023, §196(2))।

तीसरी बाधा रिपोर्टिंग-विलंब और सूचना-असमता की है। NHRC द्वारा 24 घंटे में रिपोर्टिंग की अपेक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है कि विलंब को "दमन/कवर-अप" के संकेतक के रूप में देखा जा सकता है (NHRC, 1993)।

चौथी बाधा चिकित्सकीय साक्ष्य की विश्वसनीयता है। NHRC ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्टों की गुणवत्ता, देरी और संभावित दबाव की चिंता व्यक्त करते हुए वीडियो-फिल्मिंग की अनुशंसा की (NHRC, 1995)।

सुधार के प्रस्ताव: रोकथाम, पारदर्शिता और दण्डनीयता का एकीकृत मॉडल

अभिरक्षा में मृत्यु की रोकथाम और जवाबदेही के लिए सुधारों का लक्ष्य केवल दण्ड बढ़ाना नहीं, बल्कि "जोखिम-घटाने वाली संरचनाएँ" (risk-reducing institutional architecture) बनाना होना चाहिए। इस संदर्भ में प्रथम आवश्यकता यह है कि हिरासत-प्रबंधन को रिकॉर्ड-आधारित और ऑडिट-योग्य बनाया जाए, जहाँ गिरफ्तारी से लेकर मेडिकल जांच, पूछताछ, स्थानांतरण, रिमांड, और अस्पताल रेफरल तक हर चरण का समय-चिह्नित दस्तावेजीकरण हो और स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा उसकी समय-समय पर समीक्षा संभव हो। D.K. Basu के प्रक्रिया-मानक इसी दिशा में संवैधानिक न्यूनतमता (constitutional minimum) स्थापित करते हैं (डी.के. बसु वी. पश्चिम बंगाल राज्य, 1996)।

द्वितीय, मजिस्ट्रेटीय जांच को केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि तथ्य-संग्रह और जवाबदेही-निर्धारण की गंभीर प्रक्रिया बनाना होगा। BNSS, 2023 के §196(5) में मृतक के रिश्तेदारों को जहाँ व्यावहारिक हो, जांच में उपस्थित रहने देने की व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने का एक साधन है (BNSS, 2023)।

तृतीय, पोस्टमॉर्टम और फोरेंसिक प्रोटोकॉल को मानकीकृत करते हुए NHRC द्वारा सुझाई गई वीडियो-फिल्मिंग जैसी व्यवस्थाओं को व्यवहार में प्रभावी करना आवश्यक है, क्योंकि कस्टोडियल मामलों में स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य अक्सर उपलब्ध नहीं होता और चिकित्सकीय साक्ष्य निर्णायक बनता है (NHRC, 1995)।

चतुर्थ, जांच-संस्कृति को स्वीकारोक्ति-केन्द्रित (confession-centric) से वैज्ञानिक/फोरेंसिक-केन्द्रित बनाना होगा। BSA, 2023 के §23 के अंतर्गत पुलिस को की गई स्वीकारोक्ति की अस्वीकृतता इस बात का संकेत है कि

विधि स्वयं यातना से प्राप्त स्वीकारोक्ति को वैध साक्ष्य मानने से इंकार करती है (BSA, 2023)। इसके बावजूद यदि व्यवहार में यातना होती है, तो इसका अर्थ है कि समस्या कानून के अभाव की नहीं, बल्कि अनुपालन, निगरानी, और संस्थागत प्रोत्साहन/दण्ड संरचना की है।

पंचम, क्षतिपूर्ति-व्यवस्था को पारदर्शी, समयबद्ध और पीड़ित-केन्द्रित बनाने की जरूरत है। NHRC की वार्षिक रिपोर्टें क्षतिपूर्ति अनुशंसाओं और "ड्यूटी ऑफ केयर" पर बार-बार ध्यान आकर्षित करती हैं (NHRC, 2024)। संवैधानिक न्यायशास्त्र (Rudul Sah; Nilabati Behera) यह स्पष्ट करता है कि क्षतिपूर्ति आपराधिक अभियोजन का विकल्प नहीं, बल्कि समानांतर सार्वजनिक विधि प्रतिकार है।

निष्कर्ष

कस्टोडियल मृत्यु की समस्या का समाधान किसी एक संस्थान या एक विधायी संशोधन से संभव नहीं है, क्योंकि यह समस्या राज्य शक्ति, जांच-संस्कृति, संसाधन-सीमाएँ, निगरानी-प्रणालियाँ और न्यायिक/प्रशासनिक जवाबदेही, इन सबके जटिल संगम से उत्पन्न होती है। फिर भी भारतीय विधि-व्यवस्था में इसके लिए एक बहु-स्तरीय ढांचा मौजूद है: BNS, 2023 के अंतर्गत दण्डनीयता (विशेषतः स्वीकारोक्ति उगलवाने हेतु चोट, मानव वध/हत्या/लापरवाही से मृत्यु), BSA, 2023 के अंतर्गत पुलिस स्वीकारोक्ति की निष्प्रभाविता और सीमित डिस्कवरी अपवाद, BNSS, 2023 के अंतर्गत मजिस्ट्रेटीय जांच और 24 घंटे में चिकित्सकीय परीक्षण हेतु शव अग्रसारण, तथा NHRC के 24 घंटे रिपोर्टिंग और पोस्टमॉर्टम वीडियो-फिल्मिंग संबंधी मानक।

आधिकारिक आंकड़े यह भी संकेत देते हैं कि कस्टोडियल मृत्यु का विमर्श पुलिस हिरासत तक सीमित न रहकर न्यायिक अभिरक्षा/कारागार-व्यवस्था तक विस्तारित होना चाहिए (NHRC, 2024), और पुलिस अभिरक्षा से जुड़े मामलों का क्षेत्रीय संकेंद्रण नीति-स्तर पर लक्षित सुधारों की आवश्यकता दर्शाता है (Lok Sabha, 2023)। इसलिए संवैधानिक जवाबदेही की वास्तविकता तभी स्थापित हो सकती है जब प्रक्रिया-सुरक्षा, स्वतंत्र जांच, फोरेंसिक मानकीकरण, पारदर्शी रिपोर्टिंग और प्रभावी क्षतिपूर्ति, इन पाँचों को एक साथ, संस्थागत रूप से लागू किया जाए।

संदर्भ

भारत सरकार, गृह मंत्रालय. (2023). The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (अधिनियम).

भारत सरकार, विधायी विभाग। (2023)। थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम)।

भारत सरकार, विधायी विभाग. (2023). The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (अधिनियम).

भारत सरकार, विधायी विभाग. (1993). The Protection of Human Rights Act, 1993.

डी.के. बसु वी. पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 592 ऑफ 1987, भारत का सर्वोच्च न्यायालय (18 दिसंबर, 1996)।

Lok Sabha. (2023, 1 अगस्त). Unstarred Question No. 2055: Custodial Deaths (गृह मंत्रालय का उत्तर; परिशिष्ट में राज्यवार आंकड़े).

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। (1993, 14 दिसंबर)। 24 घंटे के भीतर हिरासत में होने वाली मौतों की रिपोर्ट पर सभी मुख्य सचिवों को पत्र (संख्या 66/एसजी/एनएचआरसी/93)।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। (1995, 10 अगस्त)। हिरासत में हुई मौतों के मामलों में पोस्टमार्टम परीक्षाओं के वीडियो फिल्मांकन पर पत्र।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। (2024). वार्षिक रिपोर्ट 2023-24।

नीलाबती बेहरा वी. उड़ीसा राज्य, भारत का सर्वोच्च न्यायालय (1993)।

रुदुल साह वी. बिहार राज्य, भारत का सर्वोच्च न्यायालय (1983)।

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, conclusions, and opinions expressed in articles published in this journal are exclusively those of the individual author(s) and contributor(s). The publisher and/or editorial team neither endorse nor necessarily share these viewpoints. The publisher and/or editors assume no responsibility or liability for any damage, harm, loss, or injury, whether personal or otherwise, that might occur from the use, interpretation, or reliance upon the information, methods, instructions, or products discussed in the journal's content.

****